राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं.एफ/02/07/2020/एस.1६/22 **दिनांक 04.04.2020**

स्पष्टीकरण

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश सं.121 दिनांक 25/03/2020, 122 दिनांक 26/03/2020, 122–ए दिनांक 29/03/2020, 122–बी दिनांक 30/03/2020, 122–सी दिनांक 03.04.2020 और 122–डी दिनांक 04.04.2020 के क्रम में, पहले से छूट प्राप्त श्रेणियों में विशिष्ट सेवाओं की छूट के संबंध में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं :

(i) खंड 2(जी) के तहत छूट सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा, 15 दिन में एक बार, लाभार्थियों– बच्चों, महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को खाद्य पदार्थों तथा पोषक सामग्री का वितरण।

(ii) खंड 2(एच) के तहत 'मंडी' की छूट सहित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा सुविधा प्राप्त सीधे किसानोंधकिसानों के समूह, एफपीओ कोऑपरेटिव इत्यादि से प्रत्यक्ष विपणन।

(iii) खंड 3 के तहत असपताल और संबद्ध चिकित्सा सेवाओं सहित आयुष सेवाएं अर्थात् दवाओं की बिक्री और वितरण, अस्पताल, औषधालय, क्लिनिक तथा टेलीमेडिसिन सुविधाएं।

(iv) खंड 5 (ए) के अपवादस्वरूप विनिर्माण इकाइयों सहित आयुष दवाओं का विनिर्माण।

(v) खंड 5 (डी) के अपवादस्वरूप आयुष दवाओं की पैकिंग सामग्री सहित पैकिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां।

ख) साथ ही, उपर्युक्त दिशा–निर्देश के द्वाराय "प्रयोगशालाओं" को लॉकडाउन पाबंदियों से छूट दी गई है. इसमें निजी क्षेत्र में कोविड–19 के नमूनों की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं शामिल हैं. ये नमूने विभिन्न कलेक्शन सेंटरों द्वारा एकत्र किए जाते हैं और उसके बाद उक्त प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं. अस्थायी कलेक्शन सेंटर खोले जाने, लैब तकनीशियनों की आवाजाही और कलेक्शन सेंटरों से नमूनों को लैब में पहुंचाने की अनुमति है और इसके लिए किसी लॉकडाउन पाबंदियों के दौरान आने–जाने की छूट है।

ग) इसके अतिरिक्त, बिक्री (ई–कॉमर्स के माध्यम सहित), उत्पादन, वेयर हाउसिंग और अनिवार्य वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, ग्रोसरी, फल, सब्जियां, डेयरी तथा दुग्ध उत्पाद, मीट और मछली, पशुओं का चारा, बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक, कृषि उत्पाद, दवाएं, फार्मास्टूटिकल, चिकित्सा उपकरण, उनकी कच्ची सामग्री और इंटरमीडिएटरी जैसी अनिवार्य वस्तुओं, जिन्हें उपर्युक्त दिशा–निर्देशों में विशेष तौर पर दर्शाया गया है, के परिवहन के लिए छूट दी गई है. आदेश सं. 122–बी दिनांक 30 मार्च, 2020 में यह

स्पष्ट किया गया था कि स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद जैसे हैंड वॉश, साबुन, डिसइंफेक्टेंट, बॉडी वॉश, सरफेस क्लिनर, डिटरडेंट और टिशु पेपर, टूथपेस्ट/ओरल केयर, सैनिटेरी पैड और डाइपर, चार्जर और बाटरी सैल इत्यादि ग्रोसरी में शामिल होंगे।

घ) जमीनी स्तर पर, छूट प्राप्त मदों की भिन्न–भिन्न व्याख्या की जा रही है, जिससे इन अनिवार्य मदों की सप्लाई चेन बाधित हो रही है. अनिवार्य मदों की सप्लाई को और आसान बनाने के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं :

i) इस संबंध में प्रश्न मिले हैं कि भोजन और ग्रोसरी में क्या–क्या शामिल है. चूंकि दिशानिर्देशों में भोजन और ग्रोसरी की प्रत्येक मद का उल्लेख किए जाना न तो संभव है न ही वांछनीय, अतः सुझाव है कि भोजन और ग्रोसरी की इन मदों में उन सभी मदों को शामिल माना जाए जो लोग दैनिक आधार पर सामान्यतः उपयोग करते हैं।

ii) अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, वेयहाउसिंग और परिवहन में इन दिशा–निर्देशों में छूट प्राप्त वस्तुएं शामिल हैं और जिनके लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा छूट प्राप्त श्रेणियों में बिजनेस के लिए अलग–अलग पास जारी किए जा रहे हैं. तथापि, अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई चेन के लिए पूरे देश में पास प्राप्त करने में कठिनाई देखी जा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए, जहां कंपनियों/संगठनों के मुख्यालय/शाखा कार्यालय हैं, वहां संबंधित जिलाधिकारी ऐसी कंपनियों/संगठनों को प्राधिकार पत्र जारी करेंगे, जिनकी पूरे देश में अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई चेन है, जिसमें उनके महत्वपूर्ण स्टाफ और कर्मचारियों की सुगम आवाजाही के लिए अनुमति दी जाएगी ताकि देश में सप्लाई चेन बनी रह सके। किंतु इन प्राधिकार पत्रों की संख्या अति न्यूनतम रखी जाएगी।

iii) जबकि दिशानिर्देश के तहत रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए कार्गो मूवमेंट, रिलीफ और इवेक्यूएशन की अनुमति दी गई है, कुछ मामलों में जिला प्राधिकरणों से पास प्राप्त करने में कठिनाइयां सामने आ रही हैं. इसे दूर करने के लिए पूरे देश में सामान की अनलोडिंग और संचालन को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि केंद्रीय गृह सचिव, भारत सरकार के अ.स.पत्र सं. 40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांक 03.04.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) में स्पष्ट किया गया हैय रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के नामित प्राधिकारियों को अनुमति दी जाती है कि वे अपने महत्वपूर्ण स्टाफ और संविदात्मक श्रमिकों को ऐसे अनिवार्य कार्यों के लिए पास जारी कर सकते हैं.

iv) अंततः, सभी ट्रकों और अन्य माल वाहक वाहनों की एक ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ अंतर्राज्यीय और अंत–राज्यीय आवाजाही की अनुमति है, जबकि उस ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. यदि ट्रक/वाहन खाली जा रहा हो, तो ड्राइवर के पास माल की डिलीवरी अथवा माल के उठाने का इन्वायस, वे–बिल इत्यादि होना चाहिए. स्थानीय प्राधिकारियों को ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति को उनके निवास स्थल से ट्रक रखे जाने वाले स्थल तक आने–जाने की अनुमति दी जानी चाहिए.

(v) पासधारक व्यक्तियों की समस्त आवाजाही के लिए स्वास्थ्य तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त का कड़ाई से पालन किया जाएगा, जैसा कोविड–19 के संदर्भ में अपेक्षित है।

जिला प्राधिकरण और फील्ड एजेंसियों के कृपया तदनुसार उपरोक्त जानकारी दी जाए, ताकि जमीनी स्तर पर किस भ्रम से बचा जा सक।.

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. आयुक्त पुलिस, दिल्ली–को जिला प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय एजेंसियों को उपरोक्तानुसार सूचित करने के अनुरोध सहित, ताकि जमीनी स्तर पर किसी संदेह की स्थिति से बचा जा सके।

3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।

4. अध्यक्ष, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली को आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध सहित।

5. महाप्रबंधक, उत्तरी क्षेत्र, भारतीय रेलवे।

प्रतिलिपि :–

1. राज्य कार्यकारी समिति, समस्त सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।